

5.2.19 क्षीलांत के अधिकता अनुपातिक।  
देशों के अधिकता उपस्थित। क्षीलांत  
एवं उनके अधिकता को न्यायालय  
समय में अलग-बिलग तीन बार  
उपस्थित होकर पेशी हेतु आवज  
लगाए गये। क्षीलांत एवं उनके  
अधिकताएँ वाकजूद सूचना अनुपातिक  
रहे हैं। देशों क्षीलांत की यह  
क्षीलांत अदम दायरी एवं अदम  
पेशी में खासिय की जाती है।  
पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर  
से कम हो' एवं दखिला दफ्तर हो।

अपर कलेक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)